राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर

पत्र कमांक : प. 2(3)(ब)/आ0कृ0/10447-60 दिनांकः 1/3/2016

1. रजिस्ट्रार,
स्वामी केशवानन्द राज0 कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर
2. रजिस्ट्रार,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
उदयपुर
3. रजिस्ट्रार,
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
जोबनेर
4. रजिस्ट्रार,
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
5. रजिस्ट्रार,
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषयः– नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों के अवैतनिक अवकाश के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों को उनके आवेदन पर अध्ययनरत होने के कारण अध्ययन हेतु अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। जिसे विभाग में पदों की रिक्तियों, वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यकमों के कियान्वयन को देखते हुए आदेश कमांक 9998–10098.दिनांक 23–02–2016 .के द्वारा निरस्त कर पदस्थापित मुख्यालय पर अविलम्ब उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया । इससे व्यथित होकर कुछ अध्ययनरत कृषि पर्यवेक्षकों ने कृषि आयुक्तालय में सम्पर्क किया।
अतः इनके संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. स्नातक स्तर में अध्ययनरत ऐसे नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक जिनका "रूरल एग्रीकल्चर वर्क्स ऐक्सपीरियन्स (RAWE) कार्यक्रम चल रहा है वे कृषि पर्यवेक्षक तत्काल अपने मुख्यालय पर उपस्थिति देंगे एवं संबंधित नियंत्रक अधिकारी उप निदेशक कृषि (वि0)जिला परिषद/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा इनकी उपस्थिति संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/के.वी.के. में प्रेषित की जावेगी । इस मुख्यालय पर किये जा रहे कार्य का RAWE कार्य में सम्मलित किये जावे । ऐसे नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों को कॉलेज द्वारा अध्ययन से नहीं निकाला जावेगा।

2. स्नातकोत्तर/पी.एच.डी. में अध्ययनरत नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक जिनकी ट्रायल लगी हुई है या जिन्हें केडिट सेमीनार में देनी है वे भी तत्काल अपने मुख्यालय पर उपस्थिति देंगे एवं शनिवार– रविवार को राजकीय अवकाश के दिन अपनी ट्रायल के ओब्जरर्वेशन व अन्य कार्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जाकर करेगें। संबंधित नियंत्रक अधिकारी उप निदेशक कृषि (वि0)जिला परिषद/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा इनकी उपस्थिति संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रेषित की

जावेगी। ऐसे नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन से नहीं निकाला जावे।

3. अध्ययनरत नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों को सैद्धान्तिक, प्रायोगिक/केडिट सेमीनार में भाग लेने हेतु नियमानुसार अवकाश आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(डा0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि

पत्र कमांक : प. 2(3)(ब)/आ0कृ0/10447-60 दिनांकः 1/3/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः-

1. विशिष्ट सहायक. माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान जयपुर ।
3. कुलपति, स्वामी केशवानन्द राज0 कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर/ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर /श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर/कृषि विश्वविद्यालय, कोटा /कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. डीन/प्रिंसिपल, स्वामी केशवानन्द राज0 कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर/ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर /श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर/कृषि विश्वविद्यालय, कोटा /कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
5. संबंधित अध्ययनरत नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक।

(डा0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि